

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)a के तहत
आर०एम० वाद सं०-40 / 2014-15

डेबा मुण्डा.....विक्रेता

बनाम

अंजली देवी.....क्रेता


13.09.22
अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। आवेदक एवं उनके अधिवक्ता द्वारा अनुमति वाद में किसी भी तरह की कोई अभिरुची नहीं दिखाई जा रही है यानि आवेदक को उक्त जमीन बिक्री करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

अतः उपरोक्त अनुमति वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।


भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
घाघराबेड़ा	28	13	1049	0.10 डी०

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,

बुण्डू (राँची)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,

बुण्डू (राँची)।